



**कार्यालय : अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची।**



e-mail : pccf-development@gov.in

0651-2481813/ 9304727852

पत्रांक : 01 / यो०ब० -14/2019-589

दिनांक : 31/८/२१

प्रेषक,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
झारखण्ड, राँची।

सेवा में,

वन प्रमंडल पदाधिकारी, खूंटी वन प्रमंडल, खूंटी / लोहरदगा वन प्रमंडल, लोहरदगा / मेदिनीनगर वन प्रमंडल, मेदिनीनगर / चतरा उत्तरी वन प्रमंडल, चतरा / सरायकेला वन प्रमंडल, सरायकेला / गोड्डा वन प्रमंडल, गोड्डा / साहेबगंज वन प्रमंडल, साहेबगंज / धनबाद वन प्रमंडल, धनबाद / रामगढ़ वन प्रमंडल, रामगढ़ / गिरिडीह पूर्वी वन प्रमंडल, गिरिडीह / गिरिडीह पश्चिमी वन प्रमंडल, गिरिडीह /

वन प्रमंडल पदाधिकारी, सामाजिक वानिकी प्रमंडल, राँची / सामाजिक वानिकी प्रमंडल, सिमडेगा / सामाजिक वानिकी प्रमंडल, चाईबासा / सामाजिक वानिकी प्रमंडल, आदित्यपुर / सामाजिक वानिकी प्रमंडल, लातेहार / सामाजिक वानिकी प्रमंडल, गढ़वा / सामाजिक वानिकी प्रमंडल, हजारीबाग / सामाजिक वानिकी प्रमंडल, कोडरमा / सामाजिक वानिकी प्रमंडल, देवधर / सामाजिक वानिकी प्रमंडल, दुमका।

विषय :-

वित्तीय वर्ष 2021-22 में कार्यान्वित की जाने वाली "मुख्यमंत्री जन वन योजना" योजना (निजी भूमि पर वृक्षारोपण प्रोत्साहन की योजना) (अन्य व्यय) के अंतर्गत फलदार एवं काष्ट प्रजाति का वृक्षारोपण का सम्पोषण कार्य (तृतीय वर्ष) हेतु कुल **46.447** (छियालीस लाख चौवालीस हजार सात सौ) रु० मात्र राशि का ऑनलाइन उप आवंटन (Online Sub Allotment)।

प्रसंग:-

विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 4/यो०बजट-21/2019-02/स्वी० व०प० दिनांक 06.06.2019 एवं विभागीय आवंटन आदेश संख्या 04/यो० बजट-21/2019-13/आ० व०प० दिनांक 09.06.2021।

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में बजट मुख्य शीर्ष-2406-वानिकी तथा वन्य प्राणी, उप मुख्य शीर्ष- 01 वानिकी, लघु शीर्ष- 102 समाज तथा फार्म वानिकी, उप शीर्ष- 55 मुख्यमंत्री जन वन योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में कुल रु० **46.447** (छियालीस लाख चौवालीस हजार सात सौ) मात्र का उप आवंटन निम्नलिखित इकाईयों में किया जाता है :-

क्र.सं.	प्राथमिक इकाई	राशि (लाख में)
1	मजदूरी	17.921
2	आपूर्ति एवं सामग्री	28.526
कुल योग :-		46.447

2. प्रमण्डलवार उप-आवंटित की जा रही राशि की एवं निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की विवरणी अनुलग्नक-1 पर पर द्रष्टव्य है, जिसके अनुसार लाभुकों को प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया जाएगा। कार्य दर अनुलग्नक-2(क) एवं 2(ख) पर संलग्न है एवं ऑन लाईन उप-आवंटन की प्रति अनुलग्नक-3 पर संलग्न है। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि पौधों के उत्तरजीविता के आधार पर हीं लाभुकों को राशि का भुगतान बैंक खाते/DBT के माध्यम से किया जायेगा एवं व्यय की गई राशि की विवरणी मुख्यमंत्री जन वन योजना के Website पर upload की जाएगी।

3. मुख्यमंत्री जन वन योजना के MIS application में व्यापक सुधार कराया गया है, जिसमें प्रत्येक लाभुक से संबंधित वांछित सूचनाओं को upload किये जाने एवं प्रभारी वन प्रमण्डल पदाधिकारी द्वारा उसे approve करने के उपरांत auto generated भुगतान पर्ची बनता है, उन्हीं भुगतान पर्ची के आधार पर भुगतान कोषागार के माध्यम से सीधे लाभुकों के खातों में किये जाएं।

4. प्रोत्साहन राशि का भुगतान विभागीय संकल्प संख्या-04/योबजट-79/2015/2005 दिनांक-14.05.2018 की कंडिका-6.6, 7.1, 7.2 एवं 7.4 के द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा।

5. इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी योजना कार्यान्वयन का सतत अनुश्रवण सुनिश्चित किया जाएगा। योजनान्तर्गत प्रत्येक माह हेतु निर्धारित वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य के विरुद्ध प्रगति से इस कार्यालय को अवगत कराया जाएगा।

6. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा योजना का सफल कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों के द्वारा कार्यान्वयनाधीन योजनाओं का नियमित निरीक्षण करते हुए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्य सम्पन्न कराया जाएगा तथा प्रत्येक माह की पाँच तारीख तक अपनी नियंत्री पदाधिकारी को वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन समर्पित किया जाएगा।

7. वित्त विभाग के पत्रांक 2561 दिनांक 17.04.1998 के आलोक में निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी भी परिस्थिति में उप आवंटित राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं किया जायेगा तथा एतद संबंधी पत्र-परिपत्र का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

8. सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा राशि की निकासी एवं व्यय झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम सं0-174 एवं वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत सुसंगत दिशा-निर्देशों के अनुरूप करना सुनिश्चित किया जायेगा।

9. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि इस योजना अंतर्गत मजदूरी मद में मजदूरों को भुगतान श्रम नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग, झारखण्ड के निर्धारित दर तक सीमित रहेगा एवं भुगतान की जाने वाली राशि का भुगतान मजदूरों के बैंक खाते के माध्यम से ही किया जायेगा, साथ ही सामग्री के भुगतान के संबंध में विभागीय पत्रांक 1204 दिनांक 20.03.2017 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

10. कोषागार से निकासी के संबंध में योजना-सह-वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची के समय पत्रांक-1254 दिनांक-20.07.2020 अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। समय-समय पर निर्गत योजना-सह-वित्त विभाग के आदेश/निर्देश लागू होंगे।

11. नियंत्री तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी एवं उनके नियंत्री पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी रहेगी, अगर वे देखें कि यदि कोई ऐसी योजना का कार्य के विरुद्ध राशि का व्यय किया जा रहा है, जिसे दूसरे स्त्रोत से राशि मिल रही है या मिलने जा रही है, तो इसकी निकासी रोककर इसके निराकरण हेतु सूचना संबंधित पदाधिकारी या विभाग को तुरंत देंगे।

12. योजनाओं में सामग्री का क्रय वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देश एवं वित्तीय नियमों तथा वन एवं पर्यावरण विभाग के संकल्प संख्या-940 दिनांक 16.03.1992 द्वारा क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक की अध्यक्षता में गठित क्रय समिति की अनुशंसाओं के अनुसार किया जायेगा।

13. इस योजनान्तर्गत वानिकी कार्यों का सम्पादन विभागीय अधिसूचना संख्या 2371 दिनांक 05.05.2015 में निहित प्रावधानों के तहत सक्षम प्राधिकार से अनुमोदित दर पर किया जायेगा तथा योजनान्तर्गत किये जाने वाले ऐसे कार्य जिनका दर विभागीय अधिसूचना संख्या 2371 दिनांक 05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के कार्यक्षेत्र से बाहर है, की दर का निर्धारण योजना के नियंत्री पदाधिकारी द्वारा वित्त विभाग की निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप किया जायेगा।

14. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान अंतर्गत शामिल जिलों-गिरिडीह, हजारीबाग एवं गोड्डा पर विशेष ध्यान दिया जायेगा। यद्यपि यह योजना उसका अंग नहीं है।

15. (I). ऐसे पदाधिकारी/कर्मचारी जो पूर्व में संतोषजनक कार्य नहीं किए हैं तथा वित्तीय अनुशासन का सख्ती से पालन नहीं करते हैं उन्हें चिन्हित कर विशेष निगरानी रखेंगे।

(II) ऐसे वन क्षेत्र पदाधिकारी जिन्होंने लेखा सर्वपण में विलंब किया जिसके कारण प्रमंडलीय लेखा में विलंब हुआ, उनके कार्यों का स्थल जाँच, उत्तरजीविता प्रतिशत का सत्यापन GIS Photography के साथ कर record में रखे तथा मासिक लेखा प्राप्त होने तथा समायोजन होने के बाद राशि दी जाय।

(III) बड़े अग्रिम, वन क्षेत्र पदाधिकारी को ना दिये जायें। भुगतान तथा समायोजन के बाद ही अग्रेतर राशि दी जाय।

(IV) सभी भुगतान मजदूरों/सामग्री को DBT/Bank खातों में ही किया जायेगा। किसी भी प्रकार का Cash भुगतान नहीं किया जायेगा।

(V) Muster roll में अन्य व्यौरा के साथ-साथ बैंक का नाम, Account number तथा IFSC कोड भी अंकित रहेगा। यथा संभव mobile number भी संधारित किया जाय।

(VI) लेखा समायोजन में पूर्व निर्धारित Document के साथ-साथ संबंधित वन क्षेत्र पदाधिकारी के Bank Account का Printout जिसमें संबंधित मजदूरों के भुगतान का साक्ष्य है, इसे भी प्राप्त कर लेखा समायोजन किया जाय।

(VII) पूर्व में कई मामले cash transaction/गबन के प्रकाश में आये हैं, उक्त से नियंत्रण होगा।

(VIII) एक वर्ष में सेवानिवृत होने वाले कर्मियों के अग्रिम/भुगतान समायोजन पर वन प्रमंडल पदाधिकारी—सह—निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी विशेष ध्यान देंगे।

(IX) पूर्व से गबन के आरोपी, गडबडी करने वाले कार्यों पर वन प्रमंडल पदाधिकारी विशेष निगरानी की व्यवस्था रखेंगे तथा ऐसे मामलों की व्यक्तिगत जाँच ज्यादा की जाय।

(X) योजना के विरुद्ध राशि विमुक्त अधियाचना में उत्तरजीविता प्रतिशत की जानकारी संबंधित वन क्षेत्र पदाधिकारी/वनपाल/वनरक्षी के संयुक्त हस्ताक्षर से प्राप्त कर इस कार्यालय को उपलब्ध कराया जाय। अगर मानक के अनुरूप यह नहीं है तो दोषियों के विरुद्ध तुरंत कार्रवाई की जाय। वन प्रमंडल पदाधिकारी जाँच कर प्रतिवेदन देंगे।

(X) मासिक लेखा में पूर्व माहों का समायोजन कम से कम 75% होने के बाद ही अग्रेतर राशि जो आगामी माह में व्यय योग्य है, वही दी जाय। पूरे वर्ष की राशि एक साथ एकमुश्त विमुक्त न हो।

(XI) COVID-19 के protocol का पालन सभी कार्यों में किया जाय।

(XII) श्रोत पर (At source-TDS) यथा आयकर (Income tax), GST/VAT Profession tax इत्यादि की कटौती का दायित्व वन प्रमंडल पदाधिकारी का होगा। किसी भी उल्लंघन के लिए वन प्रमंडल पदाधिकारी स्वतः जिम्मेवार होंगे।

16. स्वीकृत राशि का भुगतान वित्त विभागीय पत्रांक 3542 दिनांक 19.12.2013 में निरूपित प्रावधानों के अनुरूप किया जायेगा।

17. वृक्षारोपण के जीवित पौधों के प्रतिशत का आँकड़ा वर्षवार विभागीय Website पर फोटो के साथ डाला जाय तथा इसकी सूचना सरकार को भी उपलब्ध करायी जायेगी।

18. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा Account Code Vol (III) की धारा 288 के अनुसार अपने कार्यालय का मासिक लेखा आगामी माह की 5वीं तारीख तक महालेखाकार कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा लेखा का त्रैमासिक Reconciliation समय निश्चित रूप से कराना सुनिश्चित किया जायेगा। साथ ही Account Code Vol (III) की धारा 297 के प्रावधानों के अनुरूप सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संवितरकों के खाते का मासिक लेखा/लेजर वन संरक्षक/अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, सामाजिक वानिकी/अन्य नियंत्री पदाधिकारी के माध्यम से महालेखाकार को समर्पित कराना सुनिश्चित करायेंगे।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

विश्वासभाजन,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक- 01/यो०ब०-14/2019-589 दिनांक-3/8/21

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक सहित अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं निदेशक, प्रसार वानिकी, उत्तरी छोटानागपुर, हजारीबाग एवं पलामू/संथाल परगना, दुमका/दक्षिणी छोटानागपुर, राँची/क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, राँची/मेदिनीनगर, पलामू/बोकारो/हजारीबाग/दुमका/जमशेदपुर/वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, राँची/गुमला/मेदिनीनगर/बोकारो/गिरिडीह/चतरा/दुमका/जमशेदपुर एवं इनविस सेंटर, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक- 01 / यो0ब0-14 / 2019- 589 दिनांक- 31/8/21

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक सहित कोषागार पदाधिकारी, डोरण्डा, राँची / खूँटी / सिमडेगा / चाईबासा / जमशेदपुर / लातेहार / गढ़वा / मेदिनीनगर / हजारीबाग / रामगढ़ / चतरा / कोडरमा / देवघर / गोड्डा / दुमका / सरायकेला / पाकुड़ / साहेबगंज / धनबाद / लोहरदगा / गिरिडीह को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

वित्तीय वर्ष 2021-22 में कार्यान्वित की जानेवाली “मुख्यमंत्री जन वन योजना” (अन्य व्यय) अन्तर्गत नीजि भूमि पर काष्ठ एवं फलदार प्रजाति के पौधों (काष्ठ प्रजाति 445 एवं फलदार प्रजाति 160 पौधा प्रति एकड़ ट्रैंच धेरान के साथ) का वृक्षारोपण का सम्पोषण कार्य (तृतीय वर्ष) का प्रमंडलवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

क्र० सं०	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	भौतिक लक्ष्य (पौधों की संख्या में)			वित्तीय लक्ष्य (लाख में)		
		फलदार प्रजाति	काष्ठ प्रजाति	कुल	मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल
i	iii	xiii	xiii	xii	xiii	xiv	xv
1	सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, राँची	5978	1452	7430	0.366 ✓	0.647	1.013
2	सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, सिमड़गा	13818	7056	20874	1.745 ✓	2.126	3.871
3	सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, चाईबासा	1693	6080	7773	0.460 ✓	0.682	1.142
4	सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, आदित्यपुर	0	48817	48817	1.620 ✓	4.000 ✓	5.620
5	सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, लातेहार	10372	21422	31794	2.071 ✓	2.900	4.971
6	सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, गढवा	10732	16252	26984	0.940 ✓	2.522 ✓	3.462
7	सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, हजारीबाग	2402	3887	6289	0.428 ✓	0.585 ✓	1.013
8	सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, कोडरमा	7560	10466	18026	1.267 ✓	1.697 ✓	2.964
9	सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, देवधर	14188	890	15078	1.491 ✓	1.668	3.159
10	सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, दुमका	13352	29867	43219	2.777 ✓	3.919 ✓	6.696
11	खूंटी वन प्रमण्डल, खूंटी	0	1048	1048	0.049 ✓	0.085	0.134
12	लोहरदगा वन प्रमण्डल, लोहरदगा	357	0	357	0.054 ✓	0.048	0.102
13	मेदिनीनगर वन प्रमण्डल, मेदिनीनगर	1650	11413	13063	0.492 ✓	1.109 ✓	1.601
14	चतरा उतरी वन प्रमण्डल, चतरा	790	3402	4192	0.241 ✓	0.356	0.597
15	सरायकेला वन प्रमण्डल, सरायकेला	789	13374	14163	0.407 ✓	0.854 ✓	1.261
16	गोड्डा वन प्रमण्डल, गोड्डा	3847	18223	22070	1.253 ✓	1.897 ✓	3.150
17	साहेबगंज वन प्रमण्डल, साहेबगंज	7200	24030	31230	1.870 ✓	2.754	4.624
18	धनबाद वन प्रमण्डल, धनबाद	400	800	1200	0.079 ✓	0.110	0.189
19	रामगढ़ वन प्रमण्डल, रामगढ़	481	0	481	0.049 ✓	0.054	0.103
20	गिरीडीह पूर्वी वन प्रमण्डल, गिरीडीह	1782	2613	4395	0.186 ✓	0.412	0.598
21	गिरीडीह पश्चिमी वन प्रमण्डल, गिरीडीह	0	900	900	0.076 ✓	0.101	0.177
कुल योग :-		97391	221992	319383	17.921	28.526	46.447

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची।

वृक्षारोपण की अनुसूचित कार्य दर

योजना का नाम : "मुख्यमंत्री जन वन योजना" (निजी भूमि पर वृक्षारोपण प्रोत्साहन की योजना)


पौधों की संख्या प्रति एकड़

160 पौधे (फलदार / कलमी पौधे)

स्पेसिंग 5 मी. x 5 मी.

प्रजातियाँ:- कलमी आम, कटहल, अमरुद, आँवला, बेल, लीची आदि

क्रम	कार्य का विवरणी	इकाई	मानव दिवस	मजदूरी (रु० में)	सामग्री (रु० में)	कुल व्यय (रु० में)	लाभुकों को प्रति पौधा देय प्रोत्साहन राशि (75 प्रतिशत)	अमूल्यिता
i	ii	iii	iv	v	vi	vii	viii	ix
ग	वित्तीय वर्ष 2021-22 में सम्पोषण कार्य (तृतीय वर्ष) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : ₹०. 311.33 (प्रति 15 प्रतिशत)							
1	दो कोड़नी-निकौमी	एकड़	4.00	1245.32	0.00	1245.32	5.84	
2	सामग्री (बीज, उर्वरक, कम्पोस्ट खाद, ₹०.००पी० / युरिया, जैविक खाद, किटनासक आदि)	एकड़	0.00	0.00	800.00	800.00	3.75	
3	पानी पटवन	एकड़	0.00	0.00	1600.00	1600.00	7.50	
4	पौधों की सुरक्षा	एकड़	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	लाभुक की जिम्मेवारी होगी
5	घेरान मरम्मत @2.5 चेन प्रति एकड़	एकड़	3.0	933.99	0.00	933.99	4.38	
	योग		7.0	2179.31	2400.00	4579.31	21.47	



अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड, राँची

वृक्षारोपण की अनुसूचित कार्य दर

योजना का नाम : "मुख्यमंत्री जन वन योजना" (निजी भूमि पर वृक्षारोपण प्रोत्साहन की योजना)

पौधों की संख्या प्रति एकड़ :
 स्पेसिंग 3 मी. x 3 मी. एवं मेड के
 किनारे 2 मी० x 2 मी०

445 पौधे (काष्ठ प्रजातियों का वनरोपण)

प्रजातियाँ—शीसम, सागवान, गम्भार, महोगनी, क्लोनल, यूकोलिप्टस, एकासिया
आदि

क्रम	कार्य का विवरणी	इकाई	मानव दिवस	मजदूरी (रु० में)	सामग्री (रु० में)	कुल व्यय (रु० में)	लाभुकों को प्रति पौधा देय प्रोत्साहन राशि (75 प्रतिशत)	अभ्युक्ति
i	ii	iii	iv	v	vi	vii	viii	ix
ग वित्तीय वर्ष 2021-22 में सम्पोषण कार्य (तृतीय वर्ष) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : रु० 311.33 (तृदि 15 प्रतिशत)								
1	एक कोडनी-निकौनी	एकड़	6.00	1867.98	0.00	1867.98	3.15	
2	सामग्री (बीज, उर्वरक, कम्पोस्ट खाद, डी०ए०पी०/यूरिया, जैविक खाद, कीटनाशक आदि)	एकड़	0.00	0.00	350.45	350.45	0.59	
3	पानी पटवन	एकड़	0.00	0.00	4450.00	4450.00	7.50	
4	पौधों की सुरक्षा	एकड़	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	लाभुक द्वारा की जायेगी।
5	धेरान मरम्मति @2.5 चेन प्रति एकड़	एकड़	3.00	933.99	0.00	933.99	1.57	
	योग		9.00	2801.97	4800.45	7602.42	12.81	

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
SC
जारखण्ड, रॉयौ



आवंटन आदेश

झारखण्ड सरकार

यात्रा वित्तीय वर्ष 2021-22 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामग्रे अंकित राशि आवंटित की जाती हैं

पत्र संख्या - 01/YB-14/2019/589

दिनांक -

03-Aug-2021

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकाली एवं व्ययम पदा.	आवंटित राशि
1	S 19 24060110255010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 55 - मुख्यमंत्री जन-वन योजना 01-मुख्यमंत्री जन-वन योजना 01 - वेतन एवं भर्ते	38094	DRNFWL004 NIRANJAN PRASAD DEO DFO.SOCIAL FORESTRY DIV.RANCHI 03 - बजदूरी	36,600.00 रुपये छत्तीस छजार छ: सौ
2	S 19 24060110255010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 55 - मुख्यमंत्री जन-वन योजना 01-मुख्यमंत्री जन-वन योजना 01 - वेतन एवं भर्ते	38095	SDGAIF002 ASHOK KUMAR GUPTA DIV. F O SOC. FORESTRY SIMDEGA 03 - बजदूरी	174,500.00 रुपये एक लाख चौहत्तर छजार पौच सौ
3	S 19 24060110255010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 55 - मुख्यमंत्री जन-वन योजना 01-मुख्यमंत्री जन-वन योजना 01 - वेतन एवं भर्ते	38096	SGHFOR001 SRI. MAHALING (I.F.S.) D.F.O.SOCIAL FORESTRY DIV.CBSA 03 - बजदूरी	46,000.00 रुपये छत्तीस छजार
				257,100.00
योग:	रुपये दो लाख सत्तावन हजार एक सौ			
क्रमिक योग:			(NAND KISHORE SINGH) AMUL PCCE REV.IHARKHAND	

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
4	S 19 24060110255010103 2406 - वानिकी नशा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 55 - मुख्यमंत्री जन-वन योजना 01-मुख्यमंत्री जन-वन योजना 01 - वेतन एवं भत्ते	38097	JSRFOR116 SUNIL KUMAR D.F.O. S.F.DIV.ADITYAPUR JSR 03 - मजदूरी	162,000.00 रुपये एक लाख बासठ हजार
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
5	S 19 24060110255010103 2406 - वानिकी नशा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 55 - मुख्यमंत्री जन-वन योजना 01-मुख्यमंत्री जन-वन योजना 01 - वेतन एवं भत्ते	38098	LTRFOR004 SAUMITRA SHUKLA D.F.O. S.F.D LATEHAR 03 - मजदूरी	207,100.00 रुपये दो लाख सात हजार एक सौ
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
6	S 19 24060110255010103 2406 - वानिकी नशा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 55 - मुख्यमंत्री जन-वन योजना 01-मुख्यमंत्री जन-वन योजना 01 - वेतन एवं भत्ते	38102	GRHFWL003 SAUMITRA SHUKLA DFO SOCIAL FORESTRY DIV GARHW 03 - मजदूरी	94,000.00 रुपये चौरानवे हजार
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
योग:	रुपये सात लाख बीस हजार दो सौ			463,100.00
क्रमिक योग:				720,200.00
			(NAND KISHORE SINGH) S.F.D. PCCE DIV JHARKHAND	

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
7	S 19 24060110255010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 55 - मुख्यमंत्री जन-वन योजना 01-मुख्यमंत्री जन-वन योजना 01 - वेतन एवं भर्ते	38106	HZBFWL007 VIKAS PALIWAL D.F.O., S. F. DIV., HAZARIBAG 03 - मजदूरी	42,800.00 रुपये बयालीस हजार आठ सौ
				
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
8	S 19 24060110255010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 55 - मुख्यमंत्री जन-वन योजना 01-मुख्यमंत्री जन-वन योजना 01 - वेतन एवं भर्ते	38109	KDMFORA02 KANAK KISHORE D.F.O (S.F.) KODERM 03 - मजदूरी	126,700.00 रुपये एक लाख छब्बीस हजार सात सौ
				
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
9	S 19 24060110255010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 55 - मुख्यमंत्री जन-वन योजना 01-मुख्यमंत्री जन-वन योजना 01 - वेतन एवं भर्ते	38110	DGRFORE87 B.BHASKARAN D.F.O. S.F.DIV.. DGR 03 - मजदूरी	149,100.00 रुपये एक लाख उनचास हजार एक सौ
				
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			

योगः

रुपये दस लाख अड्डीस हजार आठ सौ

क्रमिक योगः

318,600.00

(NAND KISHORE SINGH)

1,038,800.00

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्यवन पदा.	आवंटित राशि
10	S 19 24060110255010103	38111	DMKFOR003 SUSHIL SOREN (I.F.S) D.F.O.S.F.DIVDUMKA	277,700.00 रुपये दो लाख सित्त्वेत्तर हजार साल सौ
	2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 55 - मुख्यमंत्री जन-वन योजना 01-मुख्यमंत्री जन-वन योजना 01 - वेतन एवं भत्ते		03 - मजदूरी	
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
11	S 19 24060110255010103	38112	RNCFOR01 KULDEEP MEENA D.P.O KHUNTI	4,900.00 रुपये चार हजार नौ सौ
	2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 55 - मुख्यमंत्री जन-वन योजना 01-मुख्यमंत्री जन-वन योजना 01 - वेतन एवं भत्ते		03 - मजदूरी	
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
12	S 19 24060110255010103	38113	LDGFOR001 SRI ARVIND KUMAR DIV.FOREST OFFICER	5,400.00 रुपये पाँच हजार चार सौ
	2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 55 - मुख्यमंत्री जन-वन योजना 01-मुख्यमंत्री जन-वन योजना 01 - वेतन एवं भत्ते		03 - मजदूरी	
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			

योग:

रुपये तेरह लाख छव्वीस हजार आठ सौ

क्रमिक योग:

288,000.00

1,326,800.00

(NAND KISHORE SINGH)

SARBI FOREST DEPT JHARKHAND

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
13	S 19 24060110255010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 55 - मुख्यमंत्री जन-वन योजना 01-मुख्यमंत्री जन-वन योजना 01 - वेतन एवं भर्ते	38114	PLMFOR070 AMARNATH PRASAD SINGH IFS D.F.O.MEDININAGAR. OREST.DIV. 03 - मजदूरी	49,200.00 रुपये उन्द्रास हजार दो सौ
14	S 19 24060110255010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 55 - मुख्यमंत्री जन-वन योजना 01-मुख्यमंत्री जन-वन योजना 01 - वेतन एवं भर्ते	38115	CTRFOR002 R.THANGA PANDIAN D.F.O, NORTH DIV. CHATRA 03 - मजदूरी	24,100.00 रुपये चौहस हजार एक सौ
15	S 19 24060110255010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 55 - मुख्यमंत्री जन-वन योजना 01-मुख्यमंत्री जन-वन योजना 01 - वेतन एवं भर्ते	38116	SKLFOR001 ADITYA NARAYAN D. F. O. SERAIKELLA-KHARSA WAN 03 - मजदूरी	40,700.00 रुपये चालीस हजार सात सौ
				State Scheme : NA Central Scheme : NA

योग:	रुपये चौदह लाख चालीस हजार आठ सौ	114,000.00
क्रमिक योग:		1,440,800.00

क्रमांक	विपर कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
16	S 19 24060110255010103 2406 - वानिकी तथा बन्ध प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 55 - मुख्यमंत्री जन-वन योजना 01-मुख्यमंत्री जन-वन योजना 01 - वेतन एवं भर्ते	38117	GDDFOR164 PATRUNI RAJENDRA NAIDU DFO GODDA FOREST DIVISION 03 - मजदूरी	125,300.00 रुपये एक लाख पच्चीस हजार तीन सौ
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
17	S 19 24060110255010103 2406 - वानिकी तथा बन्ध प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 55 - मुख्यमंत्री जन-वन योजना 01-मुख्यमंत्री जन-वन योजना 01 - वेतन एवं भर्ते	38118	SBJFOR001 SRI MANISH TIWARI DIV.FOR.OFF.SAHIBG NJ 03 - मजदूरी	187,000.00 रुपये एक लाख सित्तासी हजार
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
18	S 19 24060110255010103 2406 - वानिकी तथा बन्ध प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 55 - मुख्यमंत्री जन-वन योजना 01-मुख्यमंत्री जन-वन योजना 01 - वेतन एवं भर्ते	38119	DHNFOR001 SRI BIMAL LAKRA DIVISIONAL FOREST OFFICER 03 - मजदूरी	7,900.00 रुपये सात हजार नौ सौ
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			

योग:	रुपये स त्र ह लाख इक्सठ हजार	320,200.00
क्रमिक योग:		1,761,000.00

क्रमांक	विपर कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
19	S 19 24060110255010103 2406 - वानिकी नथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा कार्म वानिकी 55 - मुख्यमंत्री जन-वन योजना 01-मुख्यमंत्री जन-वन योजना 01 - वेतन एवं भत्ते	38120	HZBFOR001 DIV. FOREST OFFICER RAMGARH DIV. FOREST OFFICE 03 - मजदूरी	4,900.00 रुपये चार हजार नौ सौ
20	S 19 24060110255010103 2406 - वानिकी नथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा कार्म वानिकी 55 - मुख्यमंत्री जन-वन योजना 01-मुख्यमंत्री जन-वन योजना 01 - वेतन एवं भत्ते	38122	GRDFOR001 PRAWESH AGRAWAL DFO GIRIDIH EAST FOR.DIV. 03 - मजदूरी	18,600.00 रुपये अठारह हजार छ: सौ
21	S 19 24060110255010103 2406 - वानिकी नथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा कार्म वानिकी 55 - मुख्यमंत्री जन-वन योजना 01-मुख्यमंत्री जन-वन योजना 01 - वेतन एवं भत्ते	38123	GRDFOR003 SHABA ALAM ANSARI D.F.O. GIRIDIH WEST FOR.DIV. 03 - मजदूरी	7,600.00 रुपये सात हजार छ: सौ

योग: 31,100.00
 रुपये स त्र ह लाख बयानवे हजार एक सौ

क्रमिक योग: 1,792,100.00
 (NAND KISHORE SINGH)
 ADDL PCCE DEV JHARKHAND

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
22	S 19 24060110255010323	38125	DRNFWL004 NIRANJAN PRASAD DEO DFO.SOCIAL FORESTRY DIV.RANCHI 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	64,700.00 रुपये लौसठ हजार सात सौ
	2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 55 - मुख्यमंत्री जन-वन योजना 01-मुख्यमंत्री जन-वन योजना 03 - प्रशासनिक व्यय			
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
23	S 19 24060110255010323	38126	SDGAIF002 ASHOK KUMAR GUPTA DIV. F O SOC. FORESTRY SIMDEGA 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	212,600.00 रुपये दो लाख बारह हजार छ. सौ
	2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 55 - मुख्यमंत्री जन-वन योजना 01-मुख्यमंत्री जन-वन योजना 03 - प्रशासनिक व्यय			
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
24	S 19 24060110255010323	38127	SGHFOR001 SRI. MAHALING (I.F.S.) D.F.O.SOCIAL FORESTRY DIV.CBSA 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	68,200.00 रुपये अडसठ हजार दो सौ
	2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 55 - मुख्यमंत्री जन-वन योजना 01-मुख्यमंत्री जन-वन योजना 03 - प्रशासनिक व्यय			
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			

योगः

रुपये इक्कीस लाख सैतीस हजार छः सौ

क्रमिक योगः

345,500.00

2,137,600.00

~~(NAND KISHORE SINGH)~~

Page 8 of 14

59,97,146,14

BANCH

卷之三

क्रमांक	विषय कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
25	S 19 24060110255010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 55 - मुख्यमंत्री जन-वन योजना 01-मुख्यमंत्री जन-वन योजना 03 - प्रशासनिक व्यय	38128	JSRFOR116 SUNIL KUMAR D.F.O. S.F.DIV.ADITYAPUR JSR. 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	400,000.00 रुपये चार लाख
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
26	S 19 24060110255010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 55 - मुख्यमंत्री जन-वन योजना 01-मुख्यमंत्री जन-वन योजना 03 - प्रशासनिक व्यय	38129	LTRFOR004 SAUMITRA SHUKLA D.F.O. S.F.D LATEHAR 23 - आपूर्ति एवं सामग्री.	290,000.00 रुपये दो लाख नव्वे हजार
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
27	S 19 24060110255010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 55 - मुख्यमंत्री जन-वन योजना 01-मुख्यमंत्री जन-वन योजना 03 - प्रशासनिक व्यय	38130	GRHFWL003 SAUMITRA SHUKLA DFO SOCIAL FORESTRY DIV GARHW 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	252,200.00 रुपये दो लाख बावन हजार दो सौ
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
योग:	रुपये तीस लाख उन्नासी हजार आठ सौ			942,200.00
क्रमिक योग:				3,079,800.00

क्रमांक	विषय कोड	एकसेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
28	S 19 24060110255010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा कार्म वानिकी 55 - मुख्यमंत्री जन-वन योजना 01-मुख्यमंत्री जन-वन योजना 03 - प्रशासनिक व्यय	38131	HZBFWL007 VIKAS PALIWAL D.F.O., S. F. DIV., HAZARIBAG 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	58,500.00 रुपये अठावन हजार पाँच सौ
				
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
29	S 19 24060110255010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा कार्म वानिकी 55 - मुख्यमंत्री जन-वन योजना 01-मुख्यमंत्री जन-वन योजना 03 - प्रशासनिक व्यय	38132	KDMFORA02 KANAK KISHORE D.F.O (S.F.) KODERMA 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	169,700.00 रुपये एक लाख उनहत्तर हजार सात सौ
				
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
30	S 19 24060110255010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा कार्म वानिकी 55 - मुख्यमंत्री जन-वन योजना 01-मुख्यमंत्री जन-वन योजना 03 - प्रशासनिक व्यय	38133	DGRFORE87 B.BHASKARAN D.F.O. S.F.DIV. DGR 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	166,800.00 रुपये एक लाख छाँठ हजार आठ सौ
				
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			

योगः

रुपये चौतीस लाख चौहत्तर हजार आठ सौ

395,000.00

क्रमिक योगः

3,474,800.00

(NAND KISHORE SINGH)
RJD PCPDEV JHARKHAND

क्रमांक	विपत्र कोड	एकसेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
31	S 19 24060110255010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 55 - मुख्यमंत्री जन-वन योजना 01-मुख्यमंत्री जन-वन योजना 03 - प्रशासनिक व्यय	38134	DMKFOR003 SUSHIL SOREN (I.F.S) D.F.O.S.F.DIVDUMKA 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	391,900.00 रुपये तीन लाख इनकाशेवे हजार नौ सौ
32	S 19 24060110255010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 55 - मुख्यमंत्री जन-वन योजना 01-मुख्यमंत्री जन-वन योजना 03 - प्रशासनिक व्यय	38135	RNCFOR01 KULDEEP MEENA D.F.O KHUNTI 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	8,500.00 रुपये आठ हजार पौंच सौ
33	S 19 24060110255010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 55 - मुख्यमंत्री जन-वन योजना 01-मुख्यमंत्री जन-वन योजना 03 - प्रशासनिक व्यय	38136	LDGFOR001 SRI ARVIND KUMAR DIV FOREST OFFICER 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	4,800.00 रुपये चार हजार आठ सौ
योग: 405,200.00 क्रमिक योग: 3,880,000.00			 (NAND KISHORE SINGH) S/ SRI PCDE DEV (HARKHAND)	

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
34	S 19 24060110255010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 55 - मुख्यमंत्री जन-वन योजना 01-मुख्यमंत्री जन-वन योजना 03 - प्रशासनिक व्यय	38137	PLMFOR070 AMARNATH PRASAD SINGH IFS D.F.O.MEDININAGAR. OREST.DIV. 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	110,900.00 रुपये एक लाख दस हजार नौ सौ
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
35	S 19 24060110255010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 55 - मुख्यमंत्री जन-वन योजना 01-मुख्यमंत्री जन-वन योजना 03 - प्रशासनिक व्यय	38138	CTRFOR002 R.THANGA PANDIAN D.F.O. NORTH DIV. CHATRA 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	35,600.00 रुपये पैतीस हजार छ: सौ
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
36	S 19 24060110255010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 55 - मुख्यमंत्री जन-वन योजना 01-मुख्यमंत्री जन-वन योजना 03 - प्रशासनिक व्यय	38139	SKLFOR001 ADITYA NARAYAN D. F. O. SERAIKELLA-KHARSA WAN 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	85,400.00 रुपये पिच्चासी हजार चार सौ
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			

योग: 231,900.00
 रुपये इकतालीस लाख रुपयारह हजार नौ सौ

क्रमिक योग: 4,111,900.00

(NAND KISHORE SINGH)
 SRI PCCE REV JHARKHAND

क्रमांक	विषय कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
37	S 19 24060110255010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 55 - मुख्यमंत्री जन-वन योजना 01-मुख्यमंत्री जन-वन योजना 03 - प्रशासनिक व्यय	38140	GDDFOR164 PATRUNI RAJENDRA NAIDU DFO GODDA FOREST DIVISION 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	189,700.00 रुपये एक लाख नवासी हजार सात सौ
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
38	S 19 24060110255010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 55 - मुख्यमंत्री जन-वन योजना 01-मुख्यमंत्री जन-वन योजना 03 - प्रशासनिक व्यय	38141	SBJFOR001 SRI MANISH TIWARI DIV.FOR.OFF.SAHIBG NJ 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	275,400.00 रुपये दो लाख पचासत्तर हजार चार सौ
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
39	S 19 24060110255010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 55 - मुख्यमंत्री जन-वन योजना 01-मुख्यमंत्री जन-वन योजना 03 - प्रशासनिक व्यय	38142	DHNFOR001 SRI BIMAL LAKRA DIVISIONAL FOREST OFFICER 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	11,000.00 रुपये ग्यारह हजार
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			

योग: 476,100.00
क्रमिक योग: 4,588,000.00

(NAND KISHORE SINGH)
S/o POLE DEV (HARKHAND)

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
40	S 19 24060110255010323 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 55 - मुख्यमंत्री जन-वन योजना 01-मुख्यमंत्री जन-वन योजना 03 - प्रशासनिक व्यय	38143	HZBFOR001 DIV. FOREST OFFICER RAMGARH DIV. FOREST OFFICE 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	5,400.00
41	S 19 24060110255010323 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 55 - मुख्यमंत्री जन-वन योजना 01-मुख्यमंत्री जन-वन योजना 03 - प्रशासनिक व्यय	38144	GRDFOR001 PRAWESH AGRAWAL DFO GIRIDIH EAST FOR.DIV. 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	41,200.00
42	S 19 24060110255010323 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 55 - मुख्यमंत्री जन-वन योजना 01-मुख्यमंत्री जन-वन योजना 03 - प्रशासनिक व्यय	38145	GRDFOR003 SHABA ALAM ANSARI D.F.O. GIRIDIH WEST FOR. DIV. 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	10,100.00
State Scheme : NA		Central Scheme : NA		
योगः		रुपये छयालीस लाख चयालीस हजार सात रुपये		56,700.00
क्रमिक योगः				4,644,700.00